लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः—176/2018 प्रार्थना पत्र
मति घीसी बाई पत्नि नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
भैरू पिता नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सम्पत पिता नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ओमप्रकाश पिता नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
कैलाश पिता नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
दू पुत्री नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
रमा पुत्री नारायण माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————प्रार्थीगण

बनाम

तस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
देवचन्द्र पिता श्री लाल उर्फ लालाराम माली, उम्र बालिग के कायम मुकामः—
1—श्री शंकर पिता देवचन्द्र माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री धन्ना पिता देवचन्द माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री सोहन पिता देवचन्द माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

————विपक्षीगण

————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—29.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1840, 1845, 1862 कुल 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात सी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये ीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की यात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.2.2019 को एक तरफा ही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नम्बर 1840, 1845, 1862 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी ाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 200/–रूपये (दौ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने कारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये दार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner